142

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक दो/निगरानी/रीवा/2018/भूरा/0613 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 08—01—2018 के द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा के प्रकरण कमांक 27/अ—6/2016—17.

.....

1—सुरेन्द्र कुमार तिवारी तनय स्व0 श्री यमुना प्रसाद तिवारी
2—सुरेश कुमार तिवारी तनय स्व0 श्री यमुना प्रसाद तिवारी
3—विनय कुमार तिवारी तनय स्व0 श्री यमुना प्रसाद तिवारी
4—शंखधारी प्रसाद तिवारी तनय राजकिशोर तिवारी
5—विनीत कुमार तिवारी तनय स्व0 श्री रामलखन तिवारी
निवासीगण ग्राम सुरसा खुर्द तहसील रायपुर कर्चुलियान
जिला रीवा म0 प्र0

——— आवेदकगण

विरूद्ध

1—जगजीवन प्रसाद मिश्र तनय स्व0 श्री राम गुलाम मिश्रा
2—रामावतार मिश्रा तनय स्व0 श्री राम कृपाल मिश्रा
3—दामोदर प्रसाद मिश्रा स्व0 श्री राम कृपाल मिश्रा
4—अखिलेश प्रसाद मिश्रा तनय स्व0 श्री भोला प्रसाद मिश्रा
5—अशोक कुमार मिश्रा तनय स्व0 श्री स्व0 श्री छोटेलाल मिश्रा
6—मुस0 गुलाबकली पतनी स्व0 श्री छोटेलाल मिश्रा
निवासीगण ग्राम सुरसा खुर्द तहसील रायपुर कर्चुलियान
जिला रीवा म0 प्र0

———अनावेदकगण

.....

श्री अरविन्द कुमार मिश्रा, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री अरविन्द कुमार पाण्डे, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

आदेश

(आज दिनांक 20/3/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी नायब तहसीलदार तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 08—01—2018 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2–प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि जगजीवन प्रसाद मिश्रा तनय श्री रामगुलाम मिश्रा निवासीगण ग्राम सुरसा खुर्द तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा म0 प्र0 ने स्थित ग्राम सुरसा खुर्द की आराजी नं0 338 रकवा 0.36 एकड़ एवं 340 रकवा 0.35 एकड़ में धारा 109, 110 म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में इस्तहार, हल्का पटवारी की रिपोर्ट, एवं पक्षकारों को सम्मन जारी करने हेतु आदेश जारी किये गये। प्रकरण आपत्ति आदेश हेतु नियत था नायब तहसीलदार द्वारा उभयपक्षों के तर्क श्रवण किये तथा दस्तावेजों का अध्ययन करने पर प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत था जिसके कारण आपत्ति निरस्त की इसी से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3–आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि पुराना भूमि खसरा कमांक 300 रकवा 0.71 एकड़ स्थित ग्राम सुरसा खुर्द पहले सिया दुलारे के स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि रही है। सिया दुलारे की मृत्यु बहुत पहले हो गयी थी। सिया दुरारे केमृत्यु के बाद उक्त भूमि में उनके दोनों पुत्रों राज किशोर व यमुना प्रसद का भूमि स्वामी की हैसियत से कब्जा दखल रहा है पुराना भूमि खसरा कमांक 300 में वाद में दो बटे नम्बर कायम हो गये थे खसरा कमांक 300/1 रकवा 0.36 एकड का नया खसरा कमांक 338 हो गया है तथा खसरा 300/2 रकवा 0.035 एकड का नया खसरा कमांक 348 हो गया है। रामलखन संखधरी व यमुना प्रसाद के बीच आपसी बटवारा 1976–77 में हो गया था उक्त बंटवारे में खसरा कमांक 338 रकवा 0.36 एकड का 1/2 हिस्सा रामलखन को तथा 1/2 हिस्सा संखधारी को प्राप्त हो गया था जिसके कारण खसरा नं0 338 में भीर बंटे नम्बर कायम हो गये थे। आवेदक अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि आवेदकगण दिनांक 6.11.17 को अपना जवाब पेश किया गया उसके तत्काल बाद अगली पेशी दिनांक 17.11.17 आवेदक साक्ष्य हेतु अंकित कर दी गयी दिनांक 17.11.17 को आवेदक गण की ओर से प्रकरण के प्रचलन शीलता के संबंध में आपत्ति प्रस्तुत की गई। उक्त दिनांक को ही अनावेदकगण की ओर से स्टाम्प एक्ट की धारा 35 के अंन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन पत्रों का बिना कोई निराकरण किये ही प्रत्यार्थीगण की साक्ष्य ली जाकर

प्रति परीक्षण के लिये अंतिम अवसर देते हुये अगली पेशी दिनांक 20.11.17 नियत कर दी गयी जबकि आवेदकगण की ओर से बार–बार यह आग्रह किया जाता रहा कि पहले प्रकरण की प्रचलनशीलता के संबंध में की गई आपत्ति का जबाव लेकर उसका निराकरण किया जो। किन्तु नायब तहसीलदार द्वारा किसी तरह की कोई सुनवाई करने को तैयार नहीं थे। उनका यही कथन रहा कि अगामी पेशी पर प्रति परीक्षण नहीं किये जाने की स्थिति में प्रति परीक्षण का अवसर समाप्त कर प्रकरण में आदेश पारित कर दिया जावेगा। आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा अंत में अनुरोध किया गया है कि आवेददकगण की निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा का आदेश दिनांक 08.01.18 निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

4–अनावेदकगण के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि मूल मामला नायब तहसीलदार तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा के न्यायालय में लंबित हैं वास्तव में पहले आवेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में उक्त प्रकरण को अंतरित करने के लिये आवेदन लगाया था जिसका प्रकरण कमांक 9/अ–74/2017–18 था जो दिनांक 14.12.17 को निरस्त किया गया उसके विरूद्व आवेदकगण ने अपर कलेक्टर जिला रीवा के न्यायालय में अपील प्रकरण कमांक 59/अपील/बी–121/2017–18 दायर किया जो अपील प्रकरण कमांक 27.12.17 को निरस्त की गई तत्पश्चात आवेदकगण ने नायब तहसीलदर के आदेश दिनांक 8.1.18 के विरूद्व इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है। अनावेदक अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि आवेदकगण का उददेश्य केवल मामले को लंबित करने का है ताकि मामले में आगे की कार्यवाही न हो सके और गलत तौर पर निगरानी इस आधार पर दायर की गई कि नायब तहसीलदार ने आपत्ति का निराकरण नहीं किया। जबकि वास्तव में नायब तहसीलदार ने आपत्ति का निराकरण इस आधार पर किया कि मामला पक्षकारों के साक्ष्य के लिये चल रहा है तदानुसार आपत्ति के बिन्दु का अंतिम तौर पर निराकरण होगा साथ ही आवेदक साक्ष्य हो चुकी है, ऐसी स्थिति में अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा करना चाहिये। वैसे भी म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50(1) के अधीन किसी अंतरिम आदेश के निगरानी

का बड़ा सीमित बिन्दु विचारणीय होता है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदकगण की निगरानी सारहीन है निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

5– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने तथा प्रस्तुत दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। प्रकरण में संलग्न अभिलेखों का अध्ययन किया। अध्ययन से स्पष्ट है कि अनावेदक जगजीवन प्रसाद मिश्रा ने धारा 109, 110 म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में इस्तहार, हल्का पटवारी की रिपोर्ट, एवं पक्षकारों को सम्मन जारी करने हेतु आदेश जारी किये गये। प्रकरण आपत्ति आदेश हेतु नियत था नायब तहसीलदार द्वारा उभयपक्षों के तर्क श्रवण किये तथा दस्तावेजों का अध्ययन करने पर प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत था, लेकिन आवेदकगण द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की जो नायब तहसीलदार तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा द्वारा निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की तथा उनका आदेश उचित प्रतीत होता है। आवेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी तथा अपर कलेक्टर जिला रीवा के न्यायालय में अपील दायर किया जो निरस्त की गई थी इससे स्पष्ट है कि आवेदकगण का उददेश्य प्रकरण को लंबित रखने का है।

6–उपरोक्त विवेचना के आधार पर नायब तहसीलदार तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा का प्रकरण कमांक 27/अ–/16–17 में पारित आदेश दिनांक 8.1.18 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। परिणामस्वरूप आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर